न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–109/2007

CIS NO. TS 141/2019

पारस साह एवं अन्य.....वादी

बनाम

हरिहर चौधरी.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
19.06.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.03.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 पारस साह की मृत्यु दिनांक 04.10.2024 को हो चुका है। मृतक वादी सं0–01 अपने पिछे विधिक वारिसान के रूप में अपनी विधवा पत्नी मु0 तेतरी देवी, एक पुत्र बेचु साह वो तीन पुत्रियां सुनीता देवी, गिता देवी और सीता देवी को छोड़कर मरे है। चूंकि वादी सं0–02 तेतरी देवी का नाम इस वाद में दर्ज है और वादी सं0–02 अपने पुत्र बेचु साह के सहायता से वाद भूमि की देखरेख करती है तथा अपने परिवार की कर्ता है। लेहाजा उपरोक्त वाद में वादी–02 अपने पुत्र–पुत्रियों का नाम दर्ज कराना नहीं चाहती है, केवल वादी सं0–01 पारस साह का नाम कलमजद कराना चाहती है। अतः प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार कर मृतक वादी सं0–01 पारस साह के नाम कलमजद करने का कृपा किया जाए। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन दिनांक 17.03.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 26.05.2025 को दिया गया है और कहा गया है कि वादी अपने आवेदन के पैरा–01 में लिखे है कि वादी सं0–01 पारस साह अपने पिछे अपनी पत्नी तेतरी देवी एक पुत्र बेचु साह, तीन पुत्री सुनीता देवी, गीता देवी तथा सीता देवी को छोड़कर मरे है। विधि अनुरूप मृतक के पुत्र तथा पुत्रियां उनके वैधानिक उत्तराधिकारी है, जिनकी प्रतिस्थापना मृतक के स्थान पर होना चाहिए। लेकिन वादी सं0–02 तेतरी देवी मृतक के पुत्र और पुत्रियों का प्रतिस्थापना कराना नहीं चाहती है, जो विधि विरूद्ध है। अतः उनके आवेदन को खारिज किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 पारस साह की मृत्यु हो चुकी है।	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–109/2007</u>

<u>CIS NO. TS 141/2019</u>

पारस साह एवं अन्य.....वादी

बनाम

हरिहर चौधरी.....प्रतिवादी

लगातार 19.06.2025	आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.03.2025 को स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार वादी को मृतक का नाम वाद पत्र से विलोपित कर उनके वारिसानों पुत्र बेचु साह, पुत्री सुनीता देवी, गीता देवी तथा सीता देवी का नाम जोड़ने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 29.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	